डॉ. रामकृष्ण बनाम श्रीमती कृष्णा बागला

दीवानी वाद सं0 –382/2014

29.09.2025	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/वादी की ओर से आदेश 7 नियम 14(3), (ए) सीपीसी का निम्न प्रार्थनापत्र पेश किया गया। प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी फतहचन्द ने वादग्रस्त मकान नंवर 47 नई धानमंडी में स्थित एक दुकान प्रकाश रोडलाइन्स को किराये पर दे रखी थी, उससे उक्त दुकान को खाली करवाने हेतु इन्खलाय का वाद मुंन्सिफ दक्षिण कोटा में दिनांक 03.01.1985 को प्रस्तुत किया गया था, उक्त वाद में प्रार्थी के बड़े भ्राता श्री मोहनलाल जी की भी साक्ष्य लेखबद्ध की गई थी, उक्त बयान में मोहनलाल जी ने वादग्रस्त मकान में अपना उत्तरी साईड का 30 गुणा 34 वर्गफीट हिस्सा होना बताया था। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.1990 तथा उक्त वाद में मोहनलाल जी द्वारा दिये गये बयान की सत्य प्रतिलिपि वकील साहब की एक अन्य वाद की पत्रावली श्रीमती सुशीला बनाम श्रीमती कृष्णा बागला जो सन 2012 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण हो चुका था, के साथ संलग्न थी तथा वाद का निस्तारण हो जाने के कारण वकील साहब ने उक्त पत्रावली को निर्णीत पत्रावलियों के साथ रख दी थी, जिसे बस्तों में से निकाल कर देखने पर पत्रावली में उपरोक्त वर्णित निर्णय व डिक्री एवं बयान की नकल पाई गई। उपरोक्त वादपत्र एवं डिक्री दिनांक 20.01.1990 तथा उक्त वाद में श्री मोहनलाल जी द्वारा दिये गये बयान की नकल प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहता है, उक्त बयान वादग्रस्त मकान से संबंधित है, जिसे न्यायहित में रिकार्ड पर लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त बयान माननीय न्यायालय को उचित निर्णय प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। देरी से प्रस्तुत करने में प्रार्थी की किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। न्यायहित में प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/वादी ने अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को साक्ष्य हेतु रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/प्रतिवादी कम–1 ने उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)

इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थनापत्र की मद सं.1 में वाद विचाराधीन एवं तारीख पेशी होना स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं.2 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कयिा तथा मद संख्या–3 को कपोल कल्पित बताते हुए यह अंकित किया कि प्रार्थनापत्र में वादी द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि श्रीमती सुशीला बनाम कृष्णा बागला का वाद सन् 2012 प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण हो चुका था, वकील साहब ने उक्त पत्रावली के निर्णीत के साथ रख दी थी जिसे बस्तों में निकाल कर देखने पर पत्रावली में उपरोक्त वर्णित निर्णय एवं डिकी एवं बयान की नकल पाई गई यह तथ्य बनावटी व कपोल कल्पित है, क्योंकि जिस वाद का उल्लेख किया गया है उस वाद से संबंधित पत्रावली वादी द्वारा इस वाद में भी प्रस्तुत की गई है, इस कारण देरी से प्रस्तुत करने का जो कथन किया गया है, गलत एवं झूठा होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 4 को अस्वीकार करते हुए यह अंकित किया कि उक्त दावा, निर्णय, बयान एवं दस्तावेज इस पत्रावली में क्यों आवश्यक है यह तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं और न ही देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण भी उल्लेखित नहीं किया गया है। अप्रार्थी/प्रतिवादी कम.1 ने विशेष कथन में यह अंकित किया कि वादी से दिनांक 08.07.2019 को जिरह हो चुकी थी, तदुपरान्त वादी द्वारा पुनः आर्डर 7 रूल 14(3) सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिस पर कुछ दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये। रिकॉर्ड पर लेने के उपरान्त पुनः दिनांक 30.08.2024 को वादी से जिरह हुई तथा उक्त जिरह दिनांक 05.11.2024 को पूर्ण हो चुकी है, उसके पश्चात प्रतिवादी नंबर 1 के दो बयान, प्रतिवादी नं.8 के तीन बयान लेखबद्ध किये गये। इस प्रकार पत्रावली में समस्त कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी थी। उसके पश्चात् जानबूझकर प्रकरण को लंबा करने की नीयत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ जो वाद पत्र की कॉपी प्रस्तुत की है, उस पर वादी के हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अनावश्यक होने से खारिज होने योग्य है जिसे भारी कोस्ट पर खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में फतेहचन्द प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जवाब नहीं पेश कर सीधी बहस की गई और कथन किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कम–1, कोटा (राज.)

जाये।

प्रकरण में बहस के दौरान प्रार्थी/वादी का निवेदन है कि उक्त दस्तावेज जो पेश किये गये वह वाद की विवादित सम्पत्ति से संबंधित हैं तथा जो निर्णय पेश किया गया है उसमें मोहनलाल के बयान हैं जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाये।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि वर्तमान में जो वाद विचाराधीन है वह विभाजन से संबंधित है तथा प्रकरण में जो निर्णय पेश किया गया है उसमें रामकिशन बागला के बयान नहीं हैं तथा मोहनलाल का जो शपथपत्र एवं बयान जो पेश किया गया उस पर केवल शपथपत्र लिखा हुआ है। संपूर्ण बयान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जावे।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। किसी भी निर्णय को रिकॉर्ड पर लेने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–34 से लेकर धारा 38 में प्रावधान किये गये हैं कि पूर्ववर्ती निर्णय कब सुसंगत है, निम्न प्रकार से है:–

"34. द्वितीय वाद का विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है–किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिकी का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब कि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए।

35. प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति–(1) किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट–विषयक, विवाह–विषयक या दिवाला–विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम निर्णय, आदेश या डिकी, जो किसी व्यक्ति को, या से, कोई विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती है या जो सर्वतः न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरूद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत हैं जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगतसय है।

(2) ऐसा निर्णय, आदेश या डिकी इस बात का निश्यायक सबूत है कि–

(i) कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री प्रवर्तन में आई,

(ii) कोई विधिक हैसियत, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोदभूत हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोदभूत हुई,

(iii) कोई विधिक हैसियत, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए, और

(iv) कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय सम्पत्ति थी जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी सम्पत्ति थी या होनी चाहिए।

36. धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगतता और प्रभाव.–वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 35 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

37. धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं.– धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवाद्यक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो।

38. निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी.–वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री, जो धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा (राज.)

जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।"

यह कि प्रकरण में जो निर्णय पेश किया गया है उसमें स्वयं रामकिशन बागला के बयान नहीं हैं तथा प्रकरण में जो निर्णय प्रस्तुत किया गया है उक्त निर्णय में वाद दुकान खाली कराने से संबंधित है। यह कि उक्त निर्णय के साथ तथा निर्णय के साथ जो शपथपत्र पेश किया गया है उक्त वाद दुकान से संबंधित है और मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं तथा वाद में जिस संपत्ति को लेकर विभाजन का दावा पेश किया गया है उक्त संपत्ति से संबंधित सीमायें भी उक्त निर्णय से मेल नहीं खा रही।

उक्त विवेचन के आधार पर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 34 से 38 में बताये गये प्रावधानों के तहत उक्त निर्णय सुसंगत न होने के कारण एवं शपथ पत्र के बयान साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26 व 27 के अधीन सुसंगत न होने के कारण उक्त निर्णय व बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाते हैं तथा प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 14(3), (ए) सीपीसी का प्रार्थनापत्र एतद्द्वारा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 03.10.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम-1, कोटा